

सं० स० १४/एम ११-१/२०२५
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Medanta Hospital,
Sector-A, Pocket 1, Shushant Golf City,
Amar Shaheed Path,
Lucknow - 226030.

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **15.01.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोन यादव पिता— कैलाश यादव ग्राम— खैरटवा पो0— रजवटिया थाना— बगहा जिला— पश्चिम चम्पारण	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000 /—	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) का क्रास चेक सं० ~~967777~~..... मूल रूप में संलग्न है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर करें। मरीज के चिकित्सोपरांत चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

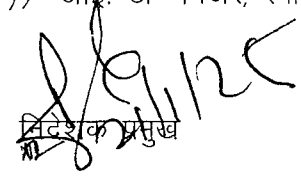
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक, प्रमुख

ज्ञापांक 200(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक, प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

Paras Health Care Pvt. Ltd.

Plot No. H-2, HDSI IDC Technology Park

Sec-22, Panchkula,

Haryana- 134109

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो0 मजर पिता- नजीरुद्दीन ग्राम- पलासमनी पो0+थाना- बहादुरगंज जिला- किशनगंज	किडनी रोग For Preparation & Kidney Transplant	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) का क्रास चेक सं0..767796 .. मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 198(14)

पटना, दिनांक

24/11/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Kailash Hospital Ltd.
23 KP-1,
Greater Noida, 201310.

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुमार मधुरेन्द्र पिता- हृदय नारायण सिंह ग्राम- रतनपुर पो0- बडहरवा थाना- मजोरगज जिला- सीतामढ़ी	ब्रेन रोग / सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) का क्रॉस चेक स0...767795..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 197(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,
डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
फोर्टिस अस्पताल बी०-22
सेक्टर -62
नोयडा -201301

पटना, दिनांक.. ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० समीम आलम पिता- स्व० मो० समसुद्दीन ग्राम- फ़ैजुल्लाह खान वार्ड 25 पो०- लालबाग थाना- लहेरियासराय जिला- दरभंगा	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	जय शंकर सिंह पिता- स्व० राम पुकार सिंह ग्राम- महदीपुर मुंगेर पो०- मुंगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुंगेर	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,50,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000 / - (तीन लाख पचास हजार) का क्रास चेक सं० 967794 मूल रूप में सलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता

की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 196(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / संबंधित मरीज /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/11/25
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अयान रेजा पिता- मो0 शाहीन परवेज ग्राम- दरियापुर फकिरवारा पो0- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 107714988	कोकिलियर इफ्लाट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	आईना इम्तेयाज पिता- इम्तेयाज अहमद ग्राम- केशोपुर पो0- पी भगवानपुर थाना- थावे जिला- गोपालगज यूएचआईडी नं0- 107793555	कोकिलियर इफ्लाट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	प्रेम सिंह पिता- रविद्र प्रसाद सिंह ग्राम- पचलख नवादा पो0- पचलख अपहर थाना- परसा जिला- सारण यूएचआईडी नं0- 106691864	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	उदय महतो पिता- योगेन्द्र महतो ग्राम- कटेसर बुजुर्ग पो- नगरा थाना- खैरा जिला- सारण यूएचआईडी नं०- 107843447	हड्डी रोग सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			8,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,90,000/- (आठ लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 767778 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 189(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 767778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

अंसारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भरत प्रसाद यादव पिता- बी बहादुर राय ग्राम- बलहा पो०- राजापट्टी थाना- बैकुंठपुर जिला- गोपालगंज यूएचआईडी न०- 107939280	हृदय रोग सीएबीजी	95,000	पन्चानवे हजार स्वीकृत।
2	सुहानी कुमारी पिता- ओम प्रकाश शर्मा ग्राम-साकेतपुरी मछली गली पो०-बी० भी० कालेज थाना-शास्त्री नगर जिला-पटना यू०एचआईडी- 106557653	हृदय रोग सी०ए०डी०	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,95,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,95,000/- (एक लाख पन्चानवे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 167728 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय ।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 190 (14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किसलग्न चेक सं०... 967798... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हर्ष कुमार पिता— मुकेश चौधरी ग्राम— टोला, पो0— रहिमपुर थाना— मुफ्फसिल जिला— खगडिया यूएचआईडी न0— 107257035	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मुनचुन देवी पति— गौरीशकर झा ग्राम— बिशनपुर घनश्याम पो0+थाना— बलुआ बाजार जिला— सुपौल यूएचआईडी न0— 103204627	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	शिला देवी पति— चंद्रशेखर मिश्रा ग्राम— आशाटोला फुलकिया पो0+थाना— बरियारपुर जिला— मुंगेर यूएचआईडी न0— 107811149	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	ईशा परवीन पिता— मो० कुदुश ग्राम— मुरेठ, पो०— नरही थाना— अरेर जिला— मधुबनी यूएचआईडी नं०— 106764067	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 5,00,000/— (पाँच लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 767778 द्वारा
आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-CA
10874584292, खाता धारक का नाम- DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT
ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई
दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 19/11/25

पटना, दिनांक

24/11/25

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 767778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय.— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपक कुमार पिता— कृष्णा तिवारी ग्राम— पहाडपुर पो0— तारानगर थाना— बिहटा जिला— पटना यूएचआईडी नं0— 104271379	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/—(एक लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~767798~~द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0— 10874584269, खाता धारक का नाम—“AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT’S ACCOUNT” खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—असारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 192(14)

पटना, दिनांक

24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 96778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड
बायलेरी साइंस, वसंतकुंज, डी०-1
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उदय पाठक पिता- विभाष चंद्र पाठक ग्राम- कंझिया पो०- जेठौर थाना- अमरपुर जिला- बांका	हेपेटिक एडेनोमा रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 267728 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साइंस" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम-Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत

करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 193(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 967778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
24/11/25

सं0 सं0 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
मेडिकल सुप्रीटेण्डेंट,
डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल,
नई दिल्ली-110001

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजय कुमार मिश्रा पिता- हरेद्र मिश्रा ग्राम+पो0- मगुराहा थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 50,000/-** (पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 767798 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-26020100006069 खाता धारक का नाम-Dr. R.M.L. Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0-BARB0RAMDEL में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 194(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~767778~~... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
डब्लू-3, सेक्टर-1
वैशाली, गाजियाबाद- 201012

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जया कुमारी पिता-पचानंद शर्मा ग्राम-पुरानी शहर पो0+थाना-बरबीघा जिला-शेखपुरा	कैंसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 1,20,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 767778 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 602014099405 खाता धारक का नाम-क्रासले रेमिडीज लि0” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-INDUSIND BANK शाखा का नाम-डा0 गोपाल दास भवन 28 बारखम्बा रोड नई दिल्ली-110001 RTGS/ IFSC कोड स0 INDB0000005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 195(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 767778...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
विराजखंड, गोमती नगर
लखनऊ-226010

पटना, दिनांक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुकेश प्रसाद पिता- बिन्दा प्रसाद ग्राम- लखनपुर पो०- डुमरसन बगरा थाना- मशरक जिला- सारण	हृदय रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुभम केशरी पिता- रमेश प्रसाद ग्राम- बरवा कपरपुरा पो०+थाना- मीरगज जिला- गोपालगज	Djstend (Uretric)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 767778... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-061181400000061, खाता धारक का नाम-STARLIT MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-यश बैंक लि०, शाखा का नाम-Vibhuti Khand Gomti Nagar LKO-226010 RTGS/IFSC कोड सं०-YESB 0000611 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 199(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 767778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिवानी कुमारी पिता- अरविंद राजवशी ग्राम- कनकौर पो0+थाना- बडेम जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 2024616280	किडनी रोग क्रिटीकल	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मूर्ति देवी पति- पति राम यादव ग्राम+पो0- छोटका राजपुर थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीआर न0- 2023322661	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सुनीता देवी पति- स्व० प्रदीप सिंह ग्राम+पो0- बरकागाव थाना- सराय जिला- सिवान सीआर न0- 2024868222	पैनक्रियाज रोग Pancrinitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	धुपेन्द्र पासवान पिता- सत्येन्द्र पासवान ग्राम- खरहना पो0- कुकुढा थाना- ईटाढी जिला- बक्सर सीआर न0- 2023545431	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	विककी कुमार पिता- चदेश्वर राय ग्राम+पो0- सकरी सरैया थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2022091062	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	सुग्रीव बैठा पिता- अकलू बैठा ग्राम- सवनहा पो0- जगतौनी थाना- भोरे जिला- गोपालगज सीआर न0- 2024860434	हृदय रोग एभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	पुजा कुमारी पति- रमेश कुमार ग्राम- सिमरा पो0+थाना- मोहनपुर जिला- गया सीआर न0- 2012505120	Thrombocyto penic रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	राकेश कुमार पिता- शिव सागर ठाकुर ग्राम- ब्रह्मोतरा पो0- इब्राहिमपुर थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 2023509591	Chronic clacific pancreatitis	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	अन्नु कुमारी पिता- नन्द कुमार ग्राम+पो0- शिल्हौडी थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर नं0- 20241052548	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	प्रशांत कुमार पिता- प्रभु कुमार ग्राम- अधारपुर उर्फ चक निजामत पो0- अधारपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 2017674162	Hepetic wilson's Endoscopic	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	रजत काजी पिता- हरेन्द्र काजी ग्राम- शेरवा पो0- शेरवा मस्जिदवा थाना- मटियरिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2014017755	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

12	रजीत कुमार पिता- विजय शंकर प्रसाद ग्राम- बगही बघम्बर पुर पो0- पटजिरवा थाना- श्रीनगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 202355277	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	शीला देवी पति- श्री कृष्णा सिंह ग्राम- जनकपुरिया पो0- पनवारी थाना- चौरी जिला- भोजपुर सीआर न0- 2024885535	Antisynthetase Syndrome	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
14	महेश प्रसाद साह पिता- स्व0 अयोध्या साह ग्राम- वारसलीगज पो0- मिरजानहाट थाना- मोजाहिदपुर जिला- भागलपुर सीआर न0- 2023813584	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
15	मुसरत खातून पिता- मो0 सलीम ग्राम+पो0- कसार थाना- बेलसड जिला- सीतामढी सीआर न0- 2024181247	Acute Intermittent Porphyria	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
16	अमेरिका साह पिता- शिव साह ग्राम+पो0- बहुअरवा थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 20241190380	Pericardiectomy	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
17	रेहाना खातून पति- मजूर आलम ग्राम- शेखपट्टी पो0- भुईधरवा थाना- भितहॉ जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 20241215072	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	प्रिया कुमारी पति- बसंत कुमार ग्राम- तरी मोहल्ला बिचलि रोड आरा पो0- चौक थाना- टाउन जिला- भोजपुर सीआर न0- 20241191098	गॉल ब्लाडर में स्टोन	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

19	सोनेलाल साह पिता- विश्वनाथ साह ग्राम- शेख धनवत पो0- गिद्धा थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2021131117	किडनी रोग दवा	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
20	सपना कुमारी पिता- जय किशोर सिंह ग्राम+पो0- मधुबनी थाना- सग्रामपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2024436581	EHPVO सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
21	राबडी देवी पति- रविद्र यादव ग्राम- पानापुर अहीर टोली पो0- पानापुर थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 20241052770	ब्रेन सर्जरी (बृहत)	2,80,000	दो लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
22	आयुष कुमार पिता- राजकिशोर कुमार ग्राम- पकडिया हरसिद्धी पो0+थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 20241100895	हेपेटाइटिस रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	दीनानाथ मिश्रा पिता- ललन मिश्रा ग्राम+पो0- भावल थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 20241203347	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
24	विरेन्द्र शर्मा पिता- नगीना शर्मा ग्राम- नरकटिया पो0- सेमरिया थाना- नौतन जिला- सिवान सीआर न0- 2023396913	हृदय रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	लक्ष्मी पडित पिता- नारायण पडित ग्राम- खासपट्टी यदुनाथपुर पो0- मारकन थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2024939327	कैसर रोग लीवर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

26	नानटुन भगत पिता- बाबूलाल भगत ग्राम- भगवानपुर डढिया पो0+थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2024878912	हृदय रोग एभीआर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सुनीता कुमारी पति- विनय कुमार ग्राम- हलीमपुर पो0- रजवारा थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2021336968	EVANS SYNDROME	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
28	आदित्य कुमार पिता- उपेद्र कुमार ग्राम- कुशैल पो0- भिट्टा धर्मपुर थाना- पुपरी जिला- सीतामढी सीआर न0- 2024138296	Ankylosing Spondylitis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
29	उपेद्र कुमार पिता- मोहन राय ग्राम- कुशैल पो0- भिट्टा धर्मपुर थाना- पुपरी जिला- सीतामढी सीआर न0- 2012146163	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
30	गुलाईची देवी पति- मार्कण्डेय मिश्र ग्राम- पकडी मिश्र पो0- बैरिया थाना- कटेया जिला- गोपालगज सीआर न0- 20241043871	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
31	प्रमोद कुमार चौधरी पिता- स्व0 किशुन चौधरी ग्राम- कन्हौली विशुनदत्त बेला रोड पो0- रमना थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2017285454	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	शिवास कुमार पिता- सजीत कुमार ग्राम+पो0- बस्था थाना- मैनाटाड जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 20241137300	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

33	जहाँ आरा बेगम पति— मो० फारुक ग्राम— रैली बाजार रामनगर पो०+थाना— रामनगर जिला— पश्चिम चम्पारण सीआर न०— 2024901074	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	धर्मेन्द्र राय पिता— विश्वनाथ राय ग्राम— रेवाडी के मठिया पो०— रेवाडी थाना— कोपा जिला— सारण सीआर न०— 20241088826	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
35	आयुष कुमार पिता— राम किशोर मुखिया ग्राम— हासा हकपारा पो०— नन्दलाली थाना+जिला— सहरसा सीआर न०— 20241069357	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
36	प्रेम प्रकाश पिता— रविंद्र कुमार ग्राम— रंजीत गज पो०— रामडिहरा थाना— अमझोर जिला— रोहतास सीआर न०— 2022377873	हेपेटाइटिस रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
37	दिपक कुमार पिता— विन्देश्वरी प्रसाद ग्राम— रामपुर गाडीखाना पो०+थाना— खगौल जिला— पटना सीआर न०— 2022093005	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
38	करीमन राम पिता— रामदीन राम ग्राम— बनकट पो०— बिन्दवलिया थाना— विश्वम्भरपुर जिला— गोपालगज सीआर न०— 2024634708	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
39	ईशा प्रिया पिता— विकास कुमार ग्राम— सादपुरा पोखरियापीर पो०— रमना थाना— काजी मोहम्मदपुर जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न०— 20191176320	किडनी सक्रमण रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

40	जय प्रकाश तिवारी पिता- प्रसन्न तिवारी ग्राम+पो0- मगोलापुर थाना- जलालपुर जिला- सारण सीआर न0- 2024755831	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
41	आशीष कुमार दुबे पिता- गोपाल दुबे ग्राम+पो0- रुपौली थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2024269983	क्रोनिक पैनक्रियाज रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
42	अरुण कुमार नारायण शाही पिता- लाखपत नारायण शाही ग्राम- बाबू परसौनी पो0- मानपुर मकरी थाना- बथवरिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2016496143	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
43	काव्या कुमारी पिता- विकाश कुमार ग्राम- हरिवाटिका चौक पो0- बेतिया थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 20241168552	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
44	आशीष कुमार पिता- पप्पु कुमार ग्राम- रामबाग चौडी पो0- रमना थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2023296920	किडनी रोग दवा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
45	महानंद पाण्डेय पिता- अंगद पाण्डेय ग्राम+पो0- रूपसागर थाना- नावानगर जिला- बक्सर सीआर न0- 2024751710	लिवर रोग Hepatitis	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
46	अनीता देवी पति- धीरेन्द्र कुमार ग्राम- टेकारी पो0- बरेला थाना- चेनारी जिला- रोहतास सीआर न0- 2019976376	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

47	रजन कुमार पाण्डेय पिता— कपिल देव पांडेय ग्राम— मधौल पो0— सुस्ता माधोपुर थाना— कुढनी जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 20241220558	हृदय रोग डीभीआर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
48	उपेन्द्र राय पिता— झूलन राय ग्राम+पो0— ढेबवाँ थाना— गोपालपुर जिला— गोपालगज सीआर न0— 2024998706	RT STN- Enthyroid	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
49	पुष्पा शर्मा पति— सजीत कुमार ग्राम+पो0— मन्झियामा थाना— कोच जिला— गया सीआर न0— 2024251821	Type II BBS	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
50	पूजा कुमारी पिता— रामनारायण तिवारी ग्राम— मेसौढा पो0+थाना— पिपराही जिला— शिवहर सीआर न0— 2022398640	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
51	मनीष रजन पिता— राम अयोध्या सिंह ग्राम— अयोध्या नगर कॉलोनी पो0— एम आई टी थाना— ब्रह्मपुरा जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 20241115300	किडनी रोग दवा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
52	काशी शर्मा पिता— रामदुलार शर्मा ग्राम— अलापुर पो0— सोनबरसा थाना— बरौली जिला— गोपालगज सीआर न0— 20241138271	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

53	अनुराग द्विवेदी पिता— अतोष द्विवेदी ग्राम— जजवलिया पो0— बाजुडीह महुअवा थाना— विजयीपुर जिला— गोपालगंज सीआर न07 2007256010	किडनी रोग दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
54	रोहित कुमार पिता—हरिशंकर कुमार ग्राम+पो0—हरनरैना थाना—शिकारगज जिला—पूर्वी चम्पारण सीआरन0—2024484942	किडनी रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			52,65,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 52,65,000/- (बावन लाख पैसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 767798.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 201(14)

पटना, दिनांक 24/1/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं. 767778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक, /अधीक्षक
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, गोमती नगर
लखनऊ -226010

पटना, दिनांक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	समिउन खातून पति- इस्तिखार मिया ग्राम- खोदाईबारी पो०- बाकरगज थाना- हुसैनगज जिला- सिवान	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 767778 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम-MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम-विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 202(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 967798 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सम् संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेटेड अस्पताल
लखनऊ, उ० प्र०-226003

पटना, दिनांक . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सचिन कुमार पिता- आनदलाल राम ग्राम+पो०- डुमरी थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शादान राजा पिता- मो० निजामुद्दीन ग्राम+पो०+थाना- जामो बाजार जिला- सिवान	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	प्रिया देवी पति- विनय कुमार सिंह ग्राम- रतनसराय पो०+थाना- बरौली जिला- गोपालगंज	हृदय रोग एमबीआर + एभीआर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 967798 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-20229846024 खाता धारक का नाम-CHIEF MEDICAL SUPERITENDENT (P.M& C.M) खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-K.G.M.C LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000K656 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 203(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 967778... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	सीताराम साह पिता- स्व० रामनरेश साह ग्राम+पो०+थाना- भभुआ वार्ड 03 जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 7108426	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	निर्भा देवी पति- शिवनदन सिंह ग्राम- नदोखर पो०- अवराइयों थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 7032008	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	राजमुना देवी पति- अनिरुद्ध सिंह ग्राम- तोरवा पो०- सोधी थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 5406999	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	तैयक मिया पिता- इस्लाम मिया ग्राम+पो०- बढुपर थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 6457012	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	युराज कुमार पिता- अशोक कुमार सिंह ग्राम- तेदुनी पो0- धनेज थाना- करगहर जिला- रोहतास ओपीडी न0- 24 / 12548	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	अनमोल दुबे पिता- गोपाल दुबे ग्राम- उचनार पो0- नौहट्टा थाना- बेलाव जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 6659500	पेडिएट्रीक रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	अविनाश कुमार पिता- रामसूरत साह ग्राम+पो0- डिभिर्यौ थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 6058280	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	गोपाल सिंह पिता- महाराज सिंह ग्राम- बहोरा बिगहा पो0- अम्बा थाना- रिसिय जिला- औरंगाबाद एमआरडी न0- 6185271	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	बबली कुमारी पिता- शशिनाथ उपाध्याय ग्राम- सातो अवन्ति नई कोट पो0- चपरोंग थाना- नुआँव जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7090835	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	शांति देवी पति- श्री राम सिंह ग्राम- दुआरी पो0- मुजी थाना- काराकाट जिला- रोहतास एमआरडी न0- 6989188	Cervical Spodylist	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	अब्दुल्लाह असारी पिता- नसीम असारी ग्राम- जमाल हाता पो0- बाकरगज थाना- हुसैनगज जिला- सिवान एमआरडी न0- 6700738	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	राम अवध खरवार पिता- सहदेव खरवार ग्राम- दुबे के सरैया पो0- हाटा थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7045176	Lungs Disease	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
13	लक्ष्मी कुमारी पिता- हरिशकर जी देव ग्राम- बी न0- 28 क्वार्टर नं0- 09 मथुरापुर कॉलोनी पो0+थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास एमआरडी न0- अकित नहीं है।	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	प्रियका कुमारी पिता- दिनेश राम ग्राम+पो0- चकरी थाना- दरौली जिला- सिवान एमआरडी न0- 6861399	Chronic Pancretitis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	लक्ष्मी देवी पति- दिलीप कुमार ग्राम+पो0- सोहगरा थाना- गुठनी जिला- सिवान एमआरडी न0- 4850600	किडनी दवा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
16	गीता देवी पति- उमेश बैठा ग्राम- हीरामणि पो0- मठिया वृत्त थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 6955397	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	पूनम देवी पति- नरेद्र कुमार ग्राम- बिस्वास पो0+थाना- सिरिसिया जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी न0- 7112124	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	गिरजा कुअर पति- स्व0 लक्ष्मण पाडेय ग्राम- मननपुर नवादा पो0+थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी नं0- 6990189	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
19	कृष्णा सिंह पिता- राजेश्वर सिंह ग्राम- सराय पो0- जंदाहा थाना- रामगढ़ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी नं0- 6946707	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

20	उषा देवी पति- अखिलेश प्रसाद ग्राम- नया बस्ती मौजे पो0+थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 5762663	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	शिला देवी पति- दीपनारायण साह ग्राम- मंगलपुर पो0+थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 6962693	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
22	सजय हजाम पिता- स्व0 निराहू हजाम ग्राम- लरमा पो0- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 6835974	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
23	सगीता पांडेय पति- सदीप कुमार पांडेय ग्राम+पो0- बरवत पसरईन थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी न0- 5692124	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	किशोरी कुमारी पिता- अनंत प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- अगिआव बजार जिला- भोजपुर एमआरडी न0- 6226000	मस्तिष्क रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	निकिता पाल पिता- जगलाल पाल ग्राम- मझिआंव पो0- खजुरा थाना- बेलांव जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 711984	Warm Autoimmune Hemolytic Anemia	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
26	सत्याजित कुमार पिता- आदित्य कुमार ग्राम- बेदा पो0- मोरसराय थाना- सासाराम जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 7106504	पेडिएट्रीक सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
27	उपेद्र प्रसाद सिंह पिता- कुशेश्वर सिंह ग्राम- मुरादपुर नरकटिया पो0- बभनगामा थाना- सुप्पी जिला- सीतामढी ओपीडी न0- 2024/129115	नी रीप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

28	नीलू कुमारी पिता- बेदव्यास गुप्ता ग्राम+पो0- कल्याणपुर थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7147145	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
29	अली हसन असारी पिता- स्व0 यासीन असारी ग्राम- सुखल पो0+थाना- बरौली जिला- गोपालगज एमआरडी न0- 7099930	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	अश कुमार शर्मा पिता- मिथलेश कुमार शर्मा ग्राम- किरकला पो0+थाना- सोनहन जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7120312	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	आशा देवी पति- राधेश्याम सिंह ग्राम- मुडिला नेपाली टोला पो0+थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी न0- 4642625	नस लौस रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
32	मोतीलाल यादव पिता- जगदीश यादव ग्राम- गोपी बिगहा पो0- केदुई थाना- मगध मेडिकल थाना जिला- गया एमआरडी न0- 6857834	न्यूरो रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	राजकुमारी देवी पति- अनिल सिंह ग्राम+पो0- बेहरा थाना- सिकटा जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी नं0- 5690062	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
34	रवि कुमार जायसवाल पिता- शिवजी प्रसाद जायसवाल ग्राम- नरबतपुर पो0- चौसा थाना- मुफ्फसिल जिला- बक्सर एमआरडी नं0- 6949231	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
35	सुशीला देवी पति- तुलसी राय ग्राम- काशीपुर पो0- चुन्नी थाना- मुफ्फसिल जिला- बक्सर एमआरडी न0- 7064894	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

36	मिलन देवी पति— अखिलेश कुमार सिंह ग्राम— खमीदौरा पो0+थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भभुआ एमआरडी न0— 6401538	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 30,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,95,000/- (तीस लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **767778** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **27790100039150** खाता धारक का नाम— **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **Bank of Baroda**, शाखा का नाम— **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम— **“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”**, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 204/14

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 **767778** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

पत्राक 14 /एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक.....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हरेद्र यादव पिता- भृगुजी नाथ यादव ग्राम- तवकल राय के डेरा पो०- छोटका राजपुर थाना- सिमरी, जिला- बक्सर	ड्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	समीर कृष्ण उपाध्याय पिता- श्याम देव उपाध्याय ग्राम- ईस्ट अभियंता नगर अशियानानगर पो०- अशियाना नगर थाना- राजीव नगर जिला- पटना	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	माया देवी पति- ददन सिंह ग्राम+पो०- नचाप थाना- मुरार, जिला- बक्सर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	रमेश सिंह पिता- रामाधार यादव ग्राम+पो०- अरिआंव थाना- कृष्णब्रह्म, जिला- बक्सर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	राहुल कुमार पिता- शंकर प्रसाद ग्राम- छोटकी नवादा गांधी मोड पो०- आर एस गया थाना- देलाहा, जिला- गया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	प्रीती मिश्रा पति- रितेश कुमार भरद्वाज ग्राम+पो०- पिपरा थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण	हेपेटाइटिस क्रिटिकल	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

7	बिनोद कुमार पिता- लक्ष्मण मिस्त्री ग्राम+पो0- खडासिन थाना- शहर तेलपा जिला- अरवल	ड्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	राम बाबू ठाकुर पिता- बिदेश्वर ठाकुर ग्राम+पो0- बैगरा थाना- साहरघाट जिला- मधुबनी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			6,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,80,000/- (छ लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~767798~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36180579026, खाता धारक का नाम- **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, शाखा का नाम- **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC** कोड सं0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा **CGHS** के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0-30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

205(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~767798~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीता कुमारी पति- बृजनदन सिंह ग्राम- चेड़ पो0- पकरी थाना- गुरुआ जिला- गया केस फाईल न0-18एफ2024 / 010099	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	धनौती देवी पति- गिरजा यादव ग्राम- पिजरावा मठिया पो0- पिजरावा थाना- कुर्था जिला- अरवल केस फाईल न0- केई / 07259	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	महेद्र यादव पिता- दुखी यादव ग्राम+पो0- मोहब्बतपुर थाना- शेरघोटी जिला- गया केस फाईल न0-11एफ2024 / 014865	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राजेश सिंह पिता- राजाराम सिंह ग्राम- सोनौरा पो0+थाना- तिलौथू जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2023 / 004128	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	योगेद्र प्रसाद पिता- शिव नदन प्रसाद ग्राम- बसवरिया पीपल चौक पो0- बेतिया थाना- नगर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2024 / 019893	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	सुनील कुमार श्रीवास्तव पिता- स्व0 शैलेन्द्र कुमार ग्राम- दास जे0 पी0 चौक पो0- लालबाग थाना- सदर जिला- दरभंगा केस फाईल न0-18एफ2024 / 004683	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अभिषेक कुमार पिता- आनंद कुमार ग्राम+पो0+थाना- डोभी जिला- गया केस फाईल न0-18एफ2024 / 017700	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	मो0 दिलशाद पिता- मो0 सलीम ग्राम+पो0+थाना- सन्हौला जिला- भागलपुर केस फाईल न0-18एफ2024 / 016906	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	नीमा शाही पति- रामजी शाही ग्राम+पो0- चैनपुर थाना- हथुआ जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-18एफ2023 / 010752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	तारामती देवी पति- शिव शंकर प्रसाद ग्राम- पाकी पो0+थाना- सिलाव जिला- नालदा केस फाईल न0-18एफ2024 / 015472	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	मास्टर अलतमश नूर पिता- नूर आलम ग्राम- धुमनगर अंसारी टोला पो0- धुमनगर थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2024 / 002582	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	दिलखुश कुमार पिता- कृष्ण चन्द्र कुमार ग्राम+पो0- बिजलपुर थाना- बिहरा जिला- सहरसा केस फाईल न0-16एफ2024 / 001407	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	मास्टर आशुतोष कुमार पिता- विवेकानंद कुमार ग्राम- राजापाकर बैरुआ पो0+थाना- राजापाकर जिला- वैशाली केस फाईल न0-16एफ2024 / 002382	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	महेश साह पिता- हजारी साह ग्राम+पो0- टारी थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2024 / 015540	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	धनवर्ती देवी पति- राम सुरेश सिंह ग्राम- मरुआ पो0+थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2024 / 020373	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	अनील कुमार साह पिता- भागवत साह ग्राम+पो0- चिराद थाना- डोरीगज जिला- सारण केस फाईल न0-18एफ2024 / 021589	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	छोटू सोनकर पिता- अशोक खटीक ग्राम- बसावनपथ खटीक मोहल्ला पो0+थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास केस फाईल न0- केई / 51885	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	सिंधु देवी पति- भीम यादव ग्राम+पो0- तारी थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2023 / 016105	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	द्वारिका यादव पिता- स्व0 गनौरी यादव ग्राम- घुठिया पो0- पाडेय परसावां थाना- मगध मेडिकल जिला- गया केस फाईल न0-11एफ2024 / 005153	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	तुषार श्रीवास्तव पिता- कृष्णा कुमार श्रीवास्तव ग्राम- जैतपुरा पो0- नुआव थाना- नुआँव जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024 / 017733	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

21	नन्दलाल साह पिता- शिव मूरत साह ग्राम+पो0- सिकंदरपुर थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल नं0-18एफ2024 / 016220	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	विन्धयाचली देवी पति- राजेद्र चौबे ग्राम- बसुहारी पो0- खजुरा थाना- बेलाव जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- केई / 17723	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	नगीना राम पिता- स्व0 प्रसाद राम ग्राम- गूलर बगा उर्फ कुशुम बथुआ पो0- सोनगढवा थाना- फुलवरिया जिला- गोपालगज केस फाईल न0- सीटी / 14034	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	भूषण सिंह पिता- रघुवश सिंह ग्राम- छककन बिगहा पो0- बेला तराढी थाना- नौबतपुर जिला- पटना केस फाईल न0- सीएस / 27640	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	जहरा खातुन पिता- मोहम्मद मनसुर आलम ग्राम- महेशवा पो0- खुदना रूपसपुर थाना- रौतारा जिला- कटिहार केस फाईल न0-18एफ2024 / 019729	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	संतोष पर्वत पिता- भजन पर्वत ग्राम- मोराखास पो0- मोरा थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2024 / 017158	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	अर्चना सिन्हा पति- शैलेन्द्र प्रसाद वर्मा ग्राम- संजय गांधी नगर रोड न0- 8ए हनुमान नगर पो0- बी0 एच0 कॉलोनी थाना- पत्रकार नगर जिला- पटना केस फाईल न0-11एफ2024 / 004184	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

28	रेणु देवी पति- सतोष कुमार सिंह ग्राम+पो0- डढाव थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2024 / 005837	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	लालबाबू राम पिता- खेदू राम ग्राम- गौरिया पो0- फुलर थाना- बजरिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2024 / 018324	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	शिव पूजन प्रसाद पिता- ब्रह्मदेव प्रसाद ग्राम- लगडाचक पो0- भिंदासपुर थाना- बेलागज जिला- गया केस फाईल न0-18एफ2024 / 019475	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	मो0 इंदरीश मिया पिता- मो0 भगन मिया ग्राम- बगहा पो0- गोपालकेडा थाना- मोहनपुर जिला- गया केस फाईल न0-16एफ2024 / 002020	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	जीतेन्द्र सुदर्शन कहार पिता- सुदर्शन कहार ग्राम+पो0- ओदार थाना- सोनहन जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024 / 014062	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	सुरभि कुमारी पिता- ओम प्रकाश तिवारी ग्राम- वि0 आई0 पी0 कॉलोनी पो0+थाना- बिक्रमगज जिला- रोहतास केस फाईल नं0- 16एफ2024 / 00178	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	विभा देवी पति- तारकनाथ मिश्रा ग्राम- रहटवा पो0- बेलाव थाना- दरौली जिला- सिवान केस फाईल न0- केई / 14956	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
35	ललिता देवी पति- नागेश्वर सिंह ग्राम+पो0- बडौरा थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024 / 020608	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

36	रामवती देवी पति- रामशकर यादव ग्राम- बडहरा पो0- जगदीशपुर थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-18एफ2024 / 004518	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
37	ललिता देवी पति- सिद्धेश्वर प्रसाद ग्राम- गौरापुर पो0- कोसडिहरा थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद केस फाईल न0-18एफ2024 / 003779	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
38	मास्टर कार्तिक भद्र पिता- वीर भद्र कुमार ग्राम- नई गोदाम महारानी रोड पो0- आर एस गया थाना- कोतवाली जिला- गया केस फाईल न0-19एफ2024 / 006060	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
39	धानो देवी पति- स्व0 राम लखन यादव ग्राम- महादेव बिगहा पो0- सालेहपुर फतेहपुर थाना- बेलागंज जिला- गया केस फाईल नं0-18एफ2024 / 018561	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
40	दिलदार मसूरी पिता- मुस्तफा मसूरी ग्राम+पो0+थाना- भगवानगंज जिला- पटना केस फाईल न0-11एफ2024 / 000020	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
41	उषा देवी पति- ब्रजेश कुमार ग्राम- मझियावा पो0- पिरोटा थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद केस फाईल नं0- सीएम/10579	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
42	शीतल प्रसाद पिता- केशो महतो ग्राम+पो0- बाघी बरडीहा थाना- वारसलीगंज जिला- नवादा केस फाईल नं0-11एफ2024 / 003458	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

43	ललन पाण्डेय पिता-पहवारी पाण्डेय ग्राम-लछीमीपुर पो-सेवतापुर थाना-मैरवा जिला-सीवान केसफाइलन0-18एफ2024/0006479	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	नागेन्द्र कुमार पिता-स्व0 रग बहादुर सिंह ग्राम+पो0+थाना-मोहनिया जिला-कैमूर, भभुआ केसफाइलन0-कै0सी0/53216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	शिव मंदिर सिंह पिता-स्व0 रामनाथ महतो ग्राम-बहलौरी पो0-बडकी खरारी थाना-करगहर जिला-रोहतास केसफाइलन0-18एफ2024/016568	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
46	सुमन द्विवेदी पति- संजीव कुमार द्विवेदी ग्राम- तिताईगज पो0+थाना- टिकारी जिला- गया केस फाईल न0- केई/02491	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	मो0 ऐनुल फुलेमान शाह पिता- फुलेमान शाह ग्राम+पो0- अकोढी थाना- मोहनिया जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- सीएफ/05300	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			47,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 47,20,000/-** (सैतालीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **767778**..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **3675632747** खाता धारक का नाम- **होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**, शाखा का नाम- **RTGS/IFSC** कोड सं0 **CBIN 0280196** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।** प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 206(14)

पटना, दिनांक- 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 767798 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

ARVACHIN HOSPITAL,

Plot No. 1700, Amara Khaira Chak,

Akhari Bypass NH 2,

(Near Delhi Public School)

Varanasi 221011.

पटना, दिनांक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम जनम प्रसाद पिता— स्व० रामजी राम ग्राम— मुबारकगंज सासाराम पो०+थाना— सासाराम जिला— रोहतास	हृदय रोग स्टेन्ट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	दिनेश कुमार गोस्वामी पिता— सुदर्शन गोस्वामी ग्राम— सखरा पो०— खैराहा थाना— डेहरी मु० जिला— रोहतास	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	चंद्र प्रकाश वर्मा पिता— सियावर प्रसाद ग्राम— नारायणपुर पो०+थाना— मैगरा जिला— गया	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अविनाश कुमार पिता— काशी नाथ शर्मा ग्राम— बाबूगंज पो०+थाना— डेहरी जिला— रोहतास	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	सीताराम साव पिता- फूल चंद साव ग्राम+पो0- मानिकपुर थाना- इद्रपुरी जिला- रोहतास	ब्रेन सर्जरी	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			6,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~767778~~..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200088951405 खाता धारक का नाम- **Arvachin Healthcare Private Limited**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC Bank**, शाखा का नाम- **Lohta**, RTGS/IFSC कोड सं० **HDFC0002166** मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 207(14)

पटना, दिनांक- 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~767778~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ममता झा पति- राजेश कुमार झा ग्राम- फरसाडागी पचायत अरिहाना पो0- अरिहाना थाना- आजमनगर जिला- कटिहार केस फाईल न0- सीवी/01338	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	गणेश साहू पिता- सोनेलाल साहू ग्राम- बेला पो0- शुम्भा डयोढी थाना- सिन्धिया जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- सीयू/31476	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मास्टर मो० साजिद पिता- मो० सलीम ग्राम+पो0- पेउर थाना- सहार जिला- भोजपुर केस फाईल न0- सीएम/38344	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सोनेलाल साह पिता- सोनफुल साह ग्राम- सोधो मुबारकपुर पो0- सोधो थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न0- सीटी/14754	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	कविता कुमारी पति- जितेश कुमार ग्राम+पो0- एकवारी थाना- सहार जिला- भोजपुर केस फाईल न0-11एफ2024 / 012093	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
6	दीपक कुमार राय पिता- बिरेन्द्र कुमार राय ग्राम- तिवाय पो0- नागपुर थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल नं0- सीपी / 37925	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सध्या कुमारी पिता- शिवचंद्र सरयुग महतो ग्राम+पो0+थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0-11एफ2024 / 022825	बोन मैरो ट्रासप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
8	आशा देवी पति- विरेन्द्र सिंह ग्राम+पो0+थाना- सिसवन जिला- सिवान केस फाईल न0-11एफ2023 / 040013	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
9	विन्दा देवी पति- आत्माराम प्रसाद ग्राम- धोबवलिया पो0- जिगरवा थाना- महाराजगज जिला- सिवान केस फाईल न0- सीवी / 33660	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
10	रवि राज पिता- रघुनाथ महतो ग्राम- चिरैया पो0- फुलकाहा थाना- सहियारा जिला- सीतामढी केस फाईल न0-11एफ2023 / 039282	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	रवि कांत पिता- रमेश कांत ग्राम- पी एन टी चौक बरमसिया पो0- कटिहार थाना- सहायक जिला- कटिहार केस फाईल नं0-11एफ2024 / 037265	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	मजू देवी पति- विश्वमित्र साह ग्राम- अमेठी पो0- मसोना थाना- सन्झौली जिला- रोहतास केस फाईल न0- सीयू/04593	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
13	रजनी कुमारी पति- दयानन्द कुमार ग्राम+पो0+थाना- बेलागज जिला- गया केस फाईल न0-11एफ2024/014928	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	आशा कुमारी पति- विनय कुमार ग्राम- कटारू चकमहमद पो0- गोसौल थाना- बेलसर जिला- वैशाली केस फाईल न0-11एफ2024/001501	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सुनैना देवी पति- युगेश प्रसाद ग्राम- सरेया साधु चौक वार्ड 3 पो0+थाना+जिला- गोपालगज केस फाईल न0-11एफ2024/019343	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	रीता देवी पति- सुरेद्र प्रसाद ग्राम- महामुदी चक रोड न0- 10 पो0- राजेद्र नगर थाना- कदमकुआ जिला- पटना केस फाईल न0-11एफ2023/031531	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	गौतम कुमार पिता- स्व0 गोपाल प्रसाद ग्राम- पीरमुहानी गली न0- 01 पटना कदकुआ पो0- कदमकुआ थाना- गांधी मैदान जिला- पटना केस फाईल न0- सीयू/34211	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	सोनी देवी पति- उपेद्र यादव ग्राम- सिधवल पो0- तेतरिया थाना- हुसैनगज जिला- सिवान केस फाईल न0- सीटी/06133	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	रामनाथ मडल पिता- गोविन्द मडल ग्राम- बेलापमु पो0- मौजमपट्टी थाना- बी कोठी जिला- पूर्णियाँ केस फाईल न0-11एफ2023 / 036952	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	महेश कुमार श्रीवास्तव पिता- स्व0 रामनरेश प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम- नरैनिया पो0+थाना- मीरगंज जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-11एफ2023 / 023344	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	रघुनाथ मडल पिता- स्व0 सहदेव मडल ग्राम- महमदिया पो0- कालसर थाना- हसनगंज जिला- कटिहार केस फाईल न0-11एफ2023 / 039674	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	उपेन्द्र कुमार पिता- ठाकुर नोनिया ग्राम- सैदनगर पो0- डीहा थाना- अरियरी जिला- शेखपुरा केस फाईल न0- सीयू/ 10625	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	दीपक प्रसाद गुप्ता पिता- सत्यनारायण प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- सुरसंड जिला- सीतामढी केस फाईल न0- सीयू/ 00143	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	बिनोद कुमार लाल पिता- कृष्ण कुमार लाल ग्राम- दाउद बिगहा ककडबाग जिला- पटना केस फाईल न0-11एफ2024 / 015487	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			22,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 22,50,000/- (बाईस लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 767728..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 208(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 967778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
4/12

स0स0 14 /एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कूडर रोड
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक ..

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिव कुमार पिता- सरयुग रविदास ग्राम- चारण पो०- धधौर थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई सीएसी न०- 527966 एच	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	इंदु देवी पति- राजेश चौधरी ग्राम+पो०- अमियावार थाना- नासरीगंज जिला- रोहतास सीएमसी न०- ई 93974	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अजय कुमार अकेला पिता- केशरी सिंह ग्राम- घोराही पो०- कोशी थाना- रोह जिला- नवादा सीएमसी न०- एजी 65250	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुशीला कुमारी पति- अरविन्द प्रसाद वर्मा ग्राम- मोरमा पो०- सम्हरीगढ थाना- रोह जिला- नवादा सीएमसी न०- 995035 पी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	राधा देवी पति- कारु सिंह ग्राम- बैजलपुर पो0- अमैया थाना- असरगज जिला- मुगेर सीएमसी न0- एएच 04481	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	धनंजय कुमार पिता- सत्यनारायण प्रसाद ग्राम- कुहिला वार्ड 09 पो0- कुहिला थाना- अकबरपुर जिला- नवादा सीएमसी न0- एबी 47421	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	मनोहर कुमार वर्मा पिता- जगदीश प्रसाद वर्मा ग्राम- बिरदाबन किउल पो0+थाना- किउल जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एजी 99316	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	मुकेश प्रसाद पिता- विष्णु प्रसाद ग्राम+पो0- मझौली थाना- सिरदला जिला- नवादा सीएमसी न0- एजी 73428	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	रीता वर्मा पति- चन्द्रशेखर प्रसाद ग्राम+पो0- मझवारी थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीएमसी न0- एएच 36104	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	निधी कुमारी पिता- चन्दन कुमार ग्राम+पो0+थाना- गोह जिला- औरंगाबाद सीएमसी न0- एएफ 92355	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	अनुज कुमार निराला पिता- तेतर रजक ग्राम- फुलवरिया बेलौटी पो0- बैजू बिगहा थाना- गुरुआ जिला- गया सीएमसी न0- एएच 60799	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	शम्भू नाथ सिंह पिता- रामराज सिंह ग्राम+पो- कचनार थाना- रिविलगज जिला- सारण सीएमसी न०- एच 21954	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			12,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,00,000/- (बारह लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 767778... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 6 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

209(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 767778 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
नारायणा सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
120/1, अंदुल रोड़,
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बेबी ऑफ सोनम कुमारी पिता- सोनु कुमार ग्राम- मिर्जापुर पो०- टी० एम० बघार थाना- मनिहारी जिला- कटिहार	पेडिएट्रीक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मास्टर इशान अली अंसारी पिता- मो० आदिल अंसारी ग्राम- चादमोहन पो०+थाना- कुदवा चैनपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	निजहत परवीन पति- मोहम्मद मोजाहीर ग्राम+पो०- सुमेरा थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राजदेव प्रसाद पिता- रामस्वरूप महतो ग्राम+पो०- लखैपुर थाना- मोहनपुर जिला- गया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 3,65,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,65,000/- (तीन लाख पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 967798.....द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हॉस्पिटल लि०, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-Axis Bank LTD, शाखा का नाम-सी०बी०बी० बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड सं० UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृति/देश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 210(14)

पटना, दिनांक

24/1/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 767798 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चडीगढ- 160012

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देव कुमार पिता- राम बाबु अम्बास्था ग्राम- अशोक नगर रोड न0- 1 एफ पटना पो0- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना सीआर न0- 202401231569	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	साक्षी कुमारी पिता- नरेश प्रसाद ग्राम- गुमटी न0- 1 दुल्हनगज गया पो0- आर0 एस0 थाना- कोतवाली जिला- गया सीआर न0- 202204316596	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	जगरनाथ पंडित पिता- सरयुग पंडित ग्राम+पो0- बिशुनपुर बाघनगरी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 202203156595	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	रवीन्द्र मडल पिता- योगेन्द्र मडल ग्राम+पो0- थूमहा थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 202402977696	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।

5	राजेश कुमार रमन पिता- योगेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम- परबत्ती पो0- भागलपुर सिटी थाना- यूनवर्सिटी जिला- भागलपुर सीआर नं0- 202404760015	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
6	मो0 नाजिर हुसैन पिता- इस्लाम ग्राम- मोहम्मदपुर पो0- गोकुलपुर थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 202203017692	किडनी दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
7	मो0 आशिक पिता- मो0 शमीम ग्राम- बुडेल पो0- सिरनिआ थाना- मुफ्फसिल जिला- कटिहार सीआर नं0- 202101429592	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
8	आचल कुमारी पति- लोकेश कुमार मिश्र ग्राम- पटखौली पो0- मलकौली थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 202403960096	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	अरविन्द कुमार पिता- मोसाफिर प्रसाद ग्राम- बखारी पो0- कुहिला थाना- अकबरपुर जिला- नवादा सीआर नं0- 202103935630	किडनी रोग दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	चरणजीत कुमार पिता- राम ललित साह ग्राम+पो0- गोढना थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 202403959144	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
11	मो0 गुलजार पिता- मो0 जैनुल आवेदिन ग्राम- सोफीचक पो0- मरघिया थाना- बरारी जिला- कटिहार सीआर नं0- 202403971225	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			21,15,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,15,000/- (इक्कीस लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424,

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 767798 . . . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम—“डायरेक्टर,पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0 ” खाते का प्रकार— चालु बैंक का नाम— एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम— मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर—12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं0 01524 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 6 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 211(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 767798 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
फोर्टिस अस्पताल लि०
730, आनन्दपुर ई०एम बाईपास रोड
कोलकता -700107

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शाहिद परवेज पिता- मो० फकरुद्दीन ग्राम- इरकी पो०- जहानाबाद थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			1,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 967798 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-054031356905, खाता धारक का नाम-Fortis Hospital Limited खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HSBC BANK LTD, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HSBC0110005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।

6. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 112 (14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. ~~767778~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई (टी) मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

बेली व्यु क्लिनिक 9,

डा० यु०एन० ब्रह्मचारी स्ट्रीट

कोलकता 700017

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.01.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बरुण कुमार केशरी पिता- गोपाल प्रसाद केशरी ग्राम- सनीचरी हाट पो०+थाना- आजमनगर जिला- कटिहार	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 4,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 967798... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 408772351 खाता धारक का नाम- Belle Vue Clinic, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम- Indian Bank. शाखा का नाम-1 Sarat Bose Road Kolkata 20, RTGS/IFSC कोड सं०-IDIB000S040 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 213(14)

पटना, दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~767798~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख